प्रेस नोट
दिनांक 16.02.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 043/2026 धारा-137(2), 87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकित निषाद पुत्र ज्ञानी निषाद निवासी महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को उसके घर ग्राम महेशपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.02.2026 को थाना नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की को विपक्षी अंकित निषाद बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 16.02.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त अंकित निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अंकित निषाद पुत्र ज्ञानी निषाद निवासी महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 043/2026 धारा-137(2), 87 बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी मय हमराह
02. कां0 अशोक कुमार राय ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.02.2026

थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा 01 दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-038/2026, धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 01 आरोपी अभियुक्त - शिवम चौहान उर्फ शुभम नि0 लोनियनपुरवा मौजा नकहा थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा को गंगादीन नहर पुलिया, नकहा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.02.2026 को वादिनी कौशल्या देवी पत्नी परमेश्वर निवासी मुन्डेरामाफी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटरा बाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की का विवाह फरवरी 2025 में विपक्षी शिवम चौहान उर्फ शुभम नि0 लोनियनपुरवा मौजा नकहा थाना कटरा बाजार से हुआ था। शादी के बाद से ही उनकी पुत्री को उसके पति व ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था । दिनांक 14.02.2026 को अज्ञात व्यक्ति के जरिए फोन पर सूचना मिली कि उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई है । वादिनी अपने परिजनो के साथ लड़की के ससुराल पहुँची तो पता चला कि उसे पीएचसी कटरा ले गये हैं जहाँ डाक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। वादिनी द्वारा आरोप लगाया गया कि उसकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके उसे मार दिया गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटरा बाजार में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 16.02.2026 को थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त - शिवम चौहान उर्फ शुभम नि0 लोनियनपुरवा मौजा नकहा थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा को गंगादीन नहर पुलिया, नकहा से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. शिवम चौहान उर्फ शुभम नि0 लोनियनपुरवा मौजा नकहा थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-038/2026, धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुरेंद्र कुमार सिंह मय हमराह
02. कां० राम सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।